

अनुदान संख्या 59 - उच्चतर शिक्षा विभाग
GRANT No. 59 – DEPARTMENT OF HIGHER EDUCATION

			कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत- Saving- (हजार रुपयों में) (In thousands of rupees)
राजस्व:	Revenue:				
स्वीकृत-	Voted-				
मूल	Original	25275,00,00	25379,08,00	20510,43,39	-4868,64,61
पूरक	Supplementary	104,08,00			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year				4814,85,72

टीका और टिप्पणियां

1. अनुदान में, कुल बचतें (₹486864.61 लाख) दिसंबर, 2012 और मार्च, 2013 में प्राप्त किए गए ₹10408.00 लाख की पूरक अनुदानों से अधिक हो गईं और यह कुल स्वीकृत प्रावधान का 19 प्रतिशत थीं।

Notes and comments

1. In the grant, the overall savings (₹486864.61 lakhs) exceeded the supplementary grants of ₹10408.00 lakhs obtained in December, 2012 and March, 2013 and constituted 19 percent of the total sanctioned provision.

बचतें/अधिक व्यय निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुईं/हुआ:-

Savings/excess occurred under the following major heads: -

शीर्ष	Head				
मुख्य शीर्ष "2251"	Major Head "2251"				
सचिवालय - सामाजिक सेवाएं	Secretariat – Social Services				
मू.	O.	8560.00	7579.26	6662.61	-916.65
पु.	R.	-980.74			
मुख्य शीर्ष "2202"	Major Head "2202"				
सामान्य शिक्षा	General Education				
मू.	O.	1283530.00	1180535.65	1177100.86	-3434.79
पू.	S.	5203.00			
पु.	R.	-108197.35			

(लाख रुपयों में)
(In lakhs of rupees)

कुल अनुदान
Total
grant

वास्तविक व्यय
Actual
expenditure

बचत-
Saving-
Saving-
(लाख रुपयों में)
(In lakhs of rupees)

शीर्ष	Head				
मुख्य शीर्ष "2203" तकनीकी शिक्षा	Major Head "2203" Technical Education				
मू.	O.	756150.00			
पू.	S.	3.00	789981.63	789453.52	-528.11
पु.	R.	33828.63			
मुख्य शीर्ष "2552" उत्तर पूर्वी क्षेत्र	Major Head "2552" North Eastern Areas				
मू.	O.	151081.00			
पू.	S.	2.00	499.32	..	-499.32
पु.	R.	-150583.68			
मुख्य शीर्ष "3601" राज्य सरकारों को सहायता अनुदान	Major Head "3601" Grants-in-aid to State Governments				
मू.	O.	325943.00			
पु.	R.	-253360.58	72582.42	72582.41	-0.01
मुख्य शीर्ष "3602" संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों को सहायता अनुदान	Major Head "3602" Grants-in-aid to Union Territory Governments				
मू.	O.	2232.00			
पु.	R.	-2192.00	40.00	40.00	..

(I) ₹157772.98 लाख का प्रावधान (₹2.00 लाख के सांकेतिक पूरक अनुदान सहित) एक सौ अठारह शीर्षों के अंतर्गत पूर्णतया अप्रयुक्त रहा; जिसमें से ₹155584.85 लाख निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत लेखाबद्ध किए गए:-

(का) मुख्य शीर्ष "2202" -

(क) "विश्वविद्यालय और उच्च शिक्षा" -

(i) "विश्वविद्यालयों को सहायता - राज्य सरकारों

(I) Provision of ₹157772.98 lakhs (including token supplementary grant of ₹2.00 lakhs) remained wholly unutilised under one hundred and eighteen heads; of these ₹155584.85 lakhs accounted for under the following major heads: -

(A) Major Head "2202"-

(a) "University and Higher Education"-

(i) "Assistance to Universities -

को डिग्री कालेजों के लिए सहायता” - ₹998.00 लाख राज्य सरकारों से प्रस्ताव प्राप्त न होने के कारण थे।

Assistance to State Governments for Degree Colleges”- ₹998.00 lakhs - due to non-receipt of proposals from the State Governments.

(ii) “अन्य व्यय - अधिकरणों, प्रत्यापन प्राधिकरण, एनसीएचईआर और राष्ट्रीय वित्त निगम की स्थापना” - ₹200.00 लाख व्यवहार्य प्रस्ताव प्राप्त न होने के कारण थे।

(ii) “Other Expenditure - Establishment of Tribunals, Accreditation Authority, NCHER and National Finance Corporation” - ₹200.00 lakhs - due to non-receipt of viable proposals.

(ख) “भाषा विकास - अनुसूचित जाति विशेष संघटक योजना - केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान, मैसूर (भारतीय भाषा संस्थान) और क्षेत्रीय भाषा केंद्र” - ₹250.00 लाख रिक्त पदों को न भरे जाने और किफायती उपाय किए जाने के कारण थे।

(b) “Language Development - Special Component Plan for Scheduled Castes - Central Institute of Indian Languages, Mysore (Bhartiya Bhasha Sansthan) and Regional Language Centres” - ₹250.00 lakhs – due to non-filling up of vacant posts and economy measures.

(खा) मुख्य शीर्ष “2203” -

(B) Major Head “2203”-

(क) “इंजीनियरी, तकनीकी कालेज और संस्थान - राज्य इंजीनियरी संस्थाओं का विस्तार और उन्नयन” - ₹310.00 लाख स्कीम को अंतिम रूप न दिए जाने के कारण थे।

(a) “Engineering, Technical Colleges and Institutes – Expansion and Upgradation of State Engineering Institutions” - ₹310.00 lakhs – due to non-finalisation of scheme.

(ख) “पालिटेकनिकस - विद्यमान पालिटेकनिकस का उन्नयन/नए पालिटेकनिकस की स्थापना” - ₹1550.00 लाख;

(b) “Polytechnics - Upgradation of existing/ setting up of new polytechnics”-₹1550.00 lakhs;

(ग) “अनुसूचित जाति विशेष संघटक योजना - विद्यमान पालिटेकनिकस का उन्नयन/नए पालिटेकनिकस की स्थापना” - ₹300.00 लाख; और

(c) “Special Component Plan for Scheduled Castes - Upgradation of existing/ setting up of new polytechnics” - ₹300.00 lakhs; and

(घ) “जनजाति क्षेत्र उप योजना - विद्यमान पालिटेकनिकस का उन्नयन/नए पालिटेकनिकस की स्थापना” - ₹150.00 लाख।

(d) “Tribal Area Sub-Plan - Upgradation of existing/setting up of new polytechnics”- ₹150.00 lakhs.

प्रावधान उपर्युक्त तीन शीर्षों के अंतर्गत व्यवहार्य प्रस्ताव प्राप्त न होने के कारण अप्रयुक्त रहा।

Provisions under the above three heads remained unutilized due to non-receipt of viable proposals.

- (गा) मुख्य शीर्ष “2552” -
- (क) “विश्वविद्यालय और उच्च शिक्षा - विश्वविद्यालयों को सहायता” -
- (i) “राष्ट्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना (इंदिरा गाँधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय)” - ₹813.70 लाख;
- (ii) “विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, केंद्रीय विश्वविद्यालय आदि” - ₹59769.00 लाख;
- (ख) “विश्वविद्यालय और उच्च शिक्षा - अन्य व्यय - राष्ट्रीय पुस्तक न्यास/पुस्तक संवर्धन संस्थाओं को अनुदान” - ₹175.70 लाख;
- (ग) “भाषा विकास - निदेशन और प्रशासन” -
- (i) “राष्ट्रीय शिक्षा योजना और प्रशासन विश्वविद्यालय” - ₹136.00 लाख;
- (ii) “राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान” - ₹464.99 लाख; और
- (iii) “राष्ट्रीय वेद विद्या प्रतिष्ठान को अनुदान” - ₹104.40 लाख।
- प्रावधान उपर्युक्त छह शीर्षों के अंतर्गत पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लाभ से संबंधित स्कीमों पर उपयोग के लिए आंशिक निधियों/निधियों का पुनर्विनियोग कार्यात्मक शीर्षों को किए जाने और शेष राशि अभ्यर्पित किए जाने के कारण अप्रयुक्त रहा।
- (iv) “अन्य स्कीमें” - ₹139.50 लाख; और
- (v) “केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान, मैसूर (भारतीय भाषा संस्थान) और क्षेत्रीय भाषा केंद्र” - ₹500.00 लाख।
- (C) Major Head “2552”-
- (a) “University and Higher Education – Assistance to Universities”-
- (i) “Establishment of National University (Indira Gandhi National Open University)”- ₹813.70 lakhs;
- (ii) “University Grants Commission, Central Universities etc.”- ₹59769.00 lakhs;
- (b) “University and Higher Education - Other Expenditure - Grants to National Book Trust/ Institutions for Book Promotion” - ₹175.70 lakhs;
- (c) “Language Development-Direction and Administration”-
- (i) “National University of Education Planning and Administration (NUEPA)”-₹136.00 lakhs;
- (ii) “Rashtriya Sanskrit Sansthan” - ₹464.99 lakhs; and
- (iii) “Grants to Rashtriya Ved Vidya Pratisthan” - ₹104.40 lakhs.
- Provisions under the above six heads remained unutilized due to re-appropriation of part funds/funds to the functional heads for utilization on schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim and surrender of the balance amount.
- (iv) “Other Schemes”- ₹139.50 lakhs; and
- (v) “Central Institute of Indian Languages, Mysore (Bhartiya Bhasha Sansthan) and Regional Language Centers”- ₹500.00 lakhs.

प्रावधान उपर्युक्त दो शीर्षों के अंतर्गत पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लाभ से संबंधित स्कीमों पर उपयोग के लिए निधियों का पुनर्विनियोग कार्यात्मक शीर्षों को किए जाने और पूर्वोत्तर क्षेत्र राज्यों से व्यवहार्य प्रस्ताव प्राप्त न होने के कारण अप्रयुक्त रहा।

Provisions under the above two heads remained unutilized due to re-appropriation of funds to the functional heads for utilization on schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim and non-receipt of viable proposals from North Eastern Region States.

(घ) “तकनीकी शिक्षा - प्रशिक्षण” -

(d) “Technical Education- Training”-

(i) “शिक्षुता प्रशिक्षण छात्रवृत्ति और वजीफा कार्यक्रम” - ₹350.71 लाख व्यवहार्य प्रस्ताव प्राप्त न होने के कारण थे।

(i) “Programme for Apprenticeship Training Scholarships and Stipends”- ₹350.71 lakhs – due to non-receipt of viable proposals.

(ii) “राष्ट्रीय तकनीकी शिक्षक प्रशिक्षण और अनुसंधान संस्थान” - ₹273.10 लाख;

(ii) “National Institutes of Technical Teachers Training and Research (NITTTRs)”- ₹273.10 lakhs;

(ङ) “भाषा विकास - आधुनिक भारतीय भाषाओं और साहित्य का संवर्धन - राष्ट्रीय उर्दू भाषा संवर्धन परिषद” - ₹280.00 लाख;

(e) “Language Development - Promotion of Modern Indian Languages and Literature - National Council for Promotion of Urdu Language”- ₹280.00 lakhs;

(च) “सामान्य (सामान्य शिक्षा) - अनुसंधान - भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद” - ₹774.98 लाख;

(f) “General (General Education) – Research - Indian Council of Social Science Research”- ₹774.98 lakhs;

(छ) “सामान्य (सामान्य शिक्षा) - छात्रवृत्तियां - कालेज और विश्वविद्यालय छात्रों के लिए छात्रवृत्ति ” - ₹1937.50 लाख;

(g) “General (General Education) – Scholarships - Scholarship for College and University Students”- ₹1937.50 lakhs;

(ज) “तकनीकी शिक्षा - पालिटेकनिकस” -

(h) “Technical Education- Polytechnics”-

(i) “गुणता सुधार कार्यक्रम के लिए अनुदान - सामुदायिक पालिटेकनिकस” - ₹947.25 लाख;

(i) “Grants for Quality Improvement Programme-Community Polytechnics”- ₹947.25 lakhs;

(ii) “विद्यमान पालिटेकनिकस का उन्नयन/नए पालिटेकनिकस की स्थापना” - ₹6510.00 लाख;

(ii) “Upgradation of Existing/Setting up of New Polytechnics”- ₹6510.00 lakhs;

(झ) “तकनीकी शिक्षा - इंजीनियरी, तकनीकी कालेज और संस्थाएं” -

(i) “Technical Education- Engineering, Technical Colleges and Institutes”-

- (i) “भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान” - ₹9300.00 लाख;
- (ii) “भारतीय प्रबंधन संस्थान” - ₹5812.50 लाख;
- (iii) “केंद्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, कोकड़ाझाड़” - ₹418.41 लाख (₹0.60 लाख के सांकेतिक पूरक अनुदान सहित);
- (iv) “नए राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थानों की स्थापना” - ₹4857.00 लाख;
- (v) “अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद” - ₹3099.99 लाख; और
- (vi) “राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान” - ₹7750.20 लाख (₹0.20 लाख के सांकेतिक पूरक अनुदान सहित)

प्रावधान उपर्युक्त बारह शीर्षों के अंतर्गत पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लाभ से संबंधित स्कीमों पर उपयोग के लिए आंशिक निधियों/निधियों का पुनर्विनियोग कार्यात्मक शीर्षों को किए जाने और शेष राशि अभ्यर्पित किए जाने के कारण अप्रयुक्त रहा।

- (vii) “नए भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थानों की स्थापना” - ₹193.71 लाख; और
- (viii) “पालिटेकनिक्स में महिला छात्रावास” - ₹775.00 लाख;

प्रावधान उपर्युक्त दो शीर्षों के अंतर्गत पूर्वोत्तर राज्यों से व्यवहार्य प्रस्ताव प्राप्त न होने के कारण अप्रयुक्त रहा।

- (ज) “सामान्य (सामान्य शिक्षा) - अन्य व्यय - आईसीटी के माध्यम से राष्ट्रीय शिक्षा मिशन” - ₹6587.49 लाख;

- (i) “Indian Institutes of Technology”- ₹9300.00 lakhs;
- (ii) “Indian Institutes of Management”- ₹5812.50 lakhs;
- (iii) “Central Institute of Technology (CIT) Kokrajhar”- ₹418.41 lakhs (including token supplementary grant of ₹0.60 lakh);
- (iv) “Setting up of New National Institutes of Technology”- ₹4857.00 lakhs;
- (v) “All India Council of Technical Education (AICTE)” - ₹3099.99 lakhs; and
- (vi) “National Institutes of Technology (NITs)”- ₹7750.20 lakhs (including token supplementary grant of ₹0.20 lakh).

Provisions under the above twelve heads remained unutilized due to re-appropriation of part funds/funds to the functional heads for utilization on schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim and surrender of the balance amount.

- (vii) “Setting up of New India Institutes of Information Technology” – ₹193.71 lakhs; and
- (viii) “Women’s Hostel in Polytechnics”- ₹775.00 lakhs;

Provisions under the above two heads remained unutilized due to non-receipt of viable proposals from North Eastern States.

- (j) “General (General Education) – Other Expenditure - National Mission in Education through ICT”- ₹6587.49 lakhs;

- (ट) “तकनीकी शिक्षा - पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास - पूर्वोत्तर क्षेत्र विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान, इटानगर” - ₹189.80 लाख;
- (क) “Technical Education - Development of North Eastern Areas - North Eastern Regional Institute of Science and Technology, Itanagar”- ₹189.80 lakhs;
- (ठ) “अनुसूचित जाति विशेष संघटक योजना” -
- (l) “Special Component Plan for Scheduled Castes”-
- (i) “विश्वविद्यालय और उच्च शिक्षा - विश्वविद्यालयों को सहायता” - ₹13672.17 लाख;
- (i) “University and Higher Education – Assistance to Universities”- ₹13672.17 lakhs;
- (ii) “भाषा विकास - निदेशन और प्रशासन” - ₹125.50 लाख;
- (ii) “Language Development – Direction and Administration”- ₹125.50 lakhs;
- (iii) “सामान्य (सामान्य शिक्षा) - अनुसंधान और विकास” - ₹162.02 लाख;
- (iii) “General (General Education) - Research and Development”- ₹162.02 lakhs;
- (iv) “सामान्य (सामान्य शिक्षा) - छात्रवृत्ति” - ₹375.00 लाख;
- (iv) “General (General Education) - Scholarships”- ₹375.00 lakhs;
- (v) “तकनीकी शिक्षा - प्रशिक्षण” - ₹127.39 लाख;
- (v) “Technical Education – Training”- ₹127.39 lakhs;
- (vi) “तकनीकी शिक्षा - पालिटेकनिक्स” - ₹1707.75 लाख;
- (vi) “Technical Education – Polytechnics”- ₹1707.75 lakhs;
- (vii) “तकनीकी शिक्षा - इंजीनियरी, तकनीकी कालेज और संस्थान” - ₹6325.29 लाख (₹0.80 लाख के सांकेतिक पूरक अनुदान सहित);
- (vii) “Technical Education – Engineering, Technical Colleges and Institutes”- ₹6325.29 lakhs (including token supplementary grant of ₹0.80 lakh);
- (viii) “सामान्य (सामान्य शिक्षा) - अन्य व्यय” - ₹1275.01 लाख;
- (viii) “General (General Education) - Other Expenditure”- ₹1275.01 lakhs;
- (ड) “जनजाति क्षेत्र उप योजना” -
- (m) “Tribal Area Sub-Plan”-
- (i) “विश्वविद्यालय और उच्च शिक्षा - विश्वविद्यालयों को सहायता” - ₹6321.65 लाख;
- (i) “University and Higher Education – Assistance to Universities”- ₹6321.65 lakhs;

- | | |
|--|--|
| (ii) "सामान्य (सामान्य शिक्षा) - छात्रवृत्ति" - ₹187.50 लाख; | (ii) "General (General Education) - Scholarships"- ₹187.50 lakhs; |
| (iii) "तकनीकी शिक्षा - पालिटेकनिक्स" - ₹746.25 लाख; | (iii) "Technical Education – Polytechnics"- ₹746.25 lakhs; |
| (iv) "तकनीकी शिक्षा - इंजीनियरी, तकनीकी कालेज और संस्थान" - ₹5628.90 लाख (₹0.40 लाख के सांकेतिक पूरक अनुदान सहित); | (iv) "Technical Education – Engineering, Technical Colleges and Institutes"- ₹5628.90 lakhs (including token supplementary grant of ₹0.40 lakh); |
| (v) "सामान्य (सामान्य शिक्षा) - अन्य व्यय" - ₹637.50 लाख; और | (v) "General (General Education)- Other Expenditure"- ₹637.50 lakhs; and |
| (vi) "तकनीकी शिक्षा - पूर्वोत्तर क्षेत्रों का विकास" - ₹799.20 लाख। | (vi) "Technical Education – Development of North Eastern Areas"- ₹799.20 lakhs. |

प्रावधान उपर्युक्त सोलह शीर्षों के अंतर्गत पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लाभ से संबंधित स्कीमों पर उपयोग के लिए आंशिक निधियों का पुनर्विनियोग कार्यात्मक शीर्षों को किए जाने और शेष राशि अभ्यर्पित किए जाने के कारण अप्रयुक्त रहा।

Provisions under the above sixteen heads remained unutilized due to re-appropriation of part funds to functional heads for utilization on schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim and surrender of the balance amount.

(घा) मुख्य शीर्ष "3602" -

(D) Major Head "3602"-

- | | |
|--|---|
| (क) "केंद्रीय रूप से प्रायोजित योजना स्कीमों के लिए अनुदान" - | (a) "Grants for Centrally Sponsored Plan Schemes"- |
| (i) "तकनीकी शिक्षा - इंजीनियरी, तकनीकी कालेज और संस्थान - तकनीकी शिक्षा भारत सरकार गुणता सुधार परियोजना" - ₹412.29 लाख; और | (i) "Technical Education - Engineering, Technical Colleges and Institutes - Technical Education Quality Improvement Project of Government of India (EAP)" - ₹412.29 lakhs); and |
| (ii) "तकनीकी शिक्षा - पालिटेकनिक्स - विद्यमान पालिटेकनिक्स के उन्नयन/नए पालिटेकनिक्स की स्थापना के लिए सहायता" - ₹1162.50 लाख। | (ii) "Technical Education - Polytechnics - Assistance for Upgradation of existing/setting up of New Polytechnics" - ₹1162.50 lakhs. |

प्रावधान उपर्युक्त दो शीर्षों के अंतर्गत संघ राज्य क्षेत्र सरकारों से व्यवहार्य प्रस्ताव प्राप्त न होने के कारण अप्रयुक्त रहा।

Provisions under the above two heads remained unutilised due to non-receipt of viable proposals from the Union Territory Governments.

(II) मुख्य शीर्ष “2251” - “सचिवालय - उच्च शिक्षा विभाग” के अंतर्गत ₹1897.39 लाख की बचत (₹8560.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) रिक्त पदों को न भरे जाने, कम दौरे किए जाने, कम चिकित्सा दावे होने और किफायती उपाय किए जाने के कारण हुई।

(III) मुख्य शीर्ष “2202” के अंतर्गत बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुईं:-

(का) “विश्वविद्यालय और उच्च शिक्षा” -

(क) “विश्वविद्यालयों को सहायता” -

- (i) “ग्रामीण विश्वविद्यालयों की स्थापना” - ₹463.57 लाख की बचत (₹561.52 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई;
- (ii) “विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, केंद्रीय विश्वविद्यालय” - ₹40505.12 लाख की बचत (₹900059.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई; और
- (iii) “राष्ट्रीय शिक्षा योजना और प्रशासन विश्वविद्यालय” - ₹416.48 लाख की बचत (₹2558.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई।

बचतें उपर्युक्त तीन शीर्षों के अंतर्गत व्यवहार्य प्रस्ताव कम संख्या में प्राप्त होने और किफायती उपाय किए जाने के कारण हुईं।

- (ख) “अनुसूचित जाति विशेष संघटक योजना - विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, केंद्रीय विश्वविद्यालय” - ₹17466.89 लाख की बचत (₹90740.34 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई; और
- (ग) “जनजाति क्षेत्र उप योजना - विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, केंद्रीय विश्वविद्यालय” - ₹9281.15 लाख

(II) Under Major Head “2251”- “Secretariat - Department of Higher Education”- saving of ₹1897.39 lakhs (against the sanctioned provision of ₹8560.00 lakhs) was due to non-filling up of vacant posts, less number of tours undertaken, less medical claims and economy measures.

(III) Under Major Head “2202” – savings occurred under the following heads: -

(A) “University and Higher Education”-

(a) “Assistance to Universities”-

- (i) “Establishment of Rural Universities”- saving of ₹463.57 lakhs (against the sanctioned provision of ₹561.52 lakhs);
- (ii) “University Grants Commission, Central Universities” - saving of ₹40505.12 lakhs (against the sanctioned provision of ₹900059.00 lakhs); and
- (iii) “National University of Education Planning and Administration”- saving of ₹416.48 lakhs (against the sanctioned provision of ₹2558.00 lakhs).

Savings under the above three heads were due to receipt of less number of viable proposals and economy measures.

- (b) “Special Component Plan for Scheduled Castes – University Grants Commission, Central Universities” - saving of ₹17466.89 lakhs (against the sanctioned provision of ₹90740.34 lakhs); and
- (c) “Tribal Area Sub-Plan – University Grants Commission, Central Universities”- saving

की बचत (₹44219.66 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई।

of ₹9281.15 lakhs (against the sanctioned provision of ₹44219.66 lakhs).

बचतें उपर्युक्त दो शीर्षों के अंतर्गत व्यवहार्य प्रस्ताव कम संख्या में प्राप्त होने के कारण हुईं।

Savings under the above two heads were due to receipt of less number of viable proposals.

(खा) “भाषा विकास” -

(B) “Language Development”-

(क) “निदेशन और प्रशासन” -

(a) “Direction and Administration” -

(i) “हिंदी निदेशालय” - ₹142.22 लाख की बचत (₹1397.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई;

(i) “Directorate of Hindi”- saving of ₹142.22 lakhs (against the sanctioned provision of ₹1397.00 lakhs);

(ii) “केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान, मैसूर (भारतीय भाषा संस्थान) और क्षेत्रीय भाषा केंद्र” - ₹402.13 लाख की बचत (₹2514.50 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई;

(ii) “Central Institute of Indian Languages, Mysore (Bhartiya Bhasha Sansthan) and Regional Language Centers” - saving of ₹402.13 lakhs (against the sanctioned provision of ₹2514.50 lakhs);

(iii) “वैज्ञानिक और तकनीकी शब्दावली आयोग” - ₹224.15 लाख की बचत (₹939.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई;

(iii) “Commission for Scientific and Technical Terminology” - saving of ₹224.15 lakhs (against the sanctioned provision of ₹939.00 lakhs);

(ख) “जनजाति क्षेत्र उप योजना - केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान, मैसूर (भारतीय भाषा संस्थान) और क्षेत्रीय भाषा केंद्र” - ₹227.06 लाख की बचत (₹250.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई; और

(b) “Tribal Area Sub-Plan - Central Institute of Indian Languages, Mysore (Bhartiya Bhasha Sansthan) and Regional Language Centres”- saving of ₹227.06 lakhs (against the sanctioned provision of ₹250.00 lakhs); and

(ग) “अन्य व्यय - केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान, मैसूर (भारतीय भाषा संस्थान) और क्षेत्रीय भाषा केंद्र” - ₹1317.99 लाख की बचत (₹2172.50 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई।

(c) “Other Expenditure - Central Institute of Indian Languages, Mysore (Bhartiya Bhasha Sansthan) and Regional Language Centres” - saving of ₹1317.99 lakhs (against the sanctioned provision of ₹2172.50 lakhs).

बचतें उपर्युक्त पाँच शीर्षों के अंतर्गत रिक्त पदों के न भरे जाने, कम दौरे किए जाने और किफायती उपाय किए

Savings under the above five heads were due to non-filling up of vacant posts, less number

जाने के कारण हुई।

- (घ) “आधुनिक भारतीय भाषाओं और साहित्य का संवर्धन - केंद्रीय शास्त्रीय तमिल संस्थान, चेन्नई” - ₹785.49 लाख की बचत (₹1312.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई; और
- (ङ) “अनुसूचित जाति विशेष संघटक योजना - केंद्रीय शास्त्रीय तमिल संस्थान, चेन्नई” - ₹114.66 लाख की बचत (₹192.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई।

बचतें उपर्युक्त दो शीर्षों के अंतर्गत व्यवहार्य प्रस्ताव कम संख्या में प्राप्त होने के कारण हुईं।

(गा) “सामान्य” -

- (क) “निदेशन और प्रशासन - आरोविली प्रबंधन” - ₹101.41 लाख की बचत (₹1304.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई;

(ख) “अनुसंधान” -

- (i) “भारतीय ऐतिहासिक अनुसंधान परिषद” - ₹215.90 लाख की बचत (₹1637.02 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई; और
- (ii) “बौद्धिक संपदा शिक्षा, अनुसंधान और लोक पहुँच संबंधी स्कीम” - ₹161.22 लाख की बचत (₹540.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई।

बचतें उपर्युक्त तीन शीर्षों के अंतर्गत व्यवहार्य प्रस्ताव कम संख्या में प्राप्त होने के कारण हुईं।

- (iii) “भारतीय दार्शनिक अनुसंधान परिषद” - ₹137.51 लाख की बचत (₹864.51 लाख के

of tours undertaken and economy measures.

- (d) “Promotion of Modern Indian Languages and Literature - Central Institutes of Classical Tamil (CICT), Chennai”- saving of ₹785.49 lakhs (against the sanctioned provision of ₹1312.00 lakhs); and
- (e) “Special Component Plan for Scheduled Castes- Central Institute of Classical Tamil (CICT), Chennai”- saving of Rs ₹114.66 lakhs (against the sanctioned provision of ₹192.00 lakhs).

Savings under the above two heads were due to receipt of less number of viable proposals.

(C) “General” -

- (a) “Direction and Administration - Auroville Management” - saving of ₹101.41 lakhs (against the sanctioned provision of ₹1304.00 lakhs);

(b) “Research” -

- (i) “Indian Council of Historical Research” - saving of ₹215.90 lakhs (against the sanctioned provision of ₹1637.02 lakhs); and
- (ii) “Scheme for Intellectual Property Education, Research and Public Outreach” - saving of Rs ₹161.22 lakhs (against the sanctioned provision of ₹540.00 lakhs).

Savings under the above three heads were due to receipt of less number of viable proposals.

- (iii) “Indian Council of Philosophical Research” - saving of ₹137.51 lakhs

स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) व्यवहार्य प्रस्ताव कम संख्या में प्राप्त होने और किफायती उपाय किए जाने के कारण हुई।

(against the sanctioned provision of ₹864.51 lakhs) was due to receipt of less number of viable proposals and economy measures.

(ग) “छात्रवृत्तियाँ - कालेज और विश्वविद्यालय छात्रों के लिए छात्रवृत्ति” - ₹6378.83 लाख की बचत (₹17437.50 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई;

(c) “Scholarships - Scholarship for college and University Students” - saving of ₹6378.83 lakhs (against the sanctioned provision of ₹17437.50 lakhs);

(घ) “अनुसूचित जाति विशेष संघटक योजना” -

(d) “Special Component Plan for Scheduled Castes” -

(i) “कालेज और विश्वविद्यालय छात्रों के लिए छात्रवृत्ति” - ₹3004.00 लाख की बचत (₹3375.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई;

(i) “Scholarship for College and University Students” - saving of ₹3004.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹3375.00 lakhs);

(ii) “आईसीटी के माध्यम से राष्ट्रीय शिक्षा मिशन” - ₹8628.26 लाख की बचत (₹11474.99 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई;

(ii) “National Mission in Education through ICT”- saving of ₹8628.26 lakhs (against the sanctioned provision of ₹11474.99 lakhs);

(ङ) “जनजाति क्षेत्र उप योजना” -

(e) “Tribal Area Sub-Plan” -

(i) “कालेज और विश्वविद्यालय छात्रों के लिए छात्रवृत्ति” - ₹1570.30 लाख की बचत (₹1687.50 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई;

(i) “Scholarship for College and University Students” - saving of ₹1570.30 lakhs (against the sanctioned provision of ₹1687.50 lakhs);

(ii) “आईसीटी के माध्यम से राष्ट्रीय शिक्षा मिशन” - ₹4314.13 लाख की बचत (₹5737.50 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई;

(ii) “National Mission in Education through ICT”- saving of ₹4314.13 lakhs (against the sanctioned provision of ₹5737.50 lakhs);

(च) “अंतर्राष्ट्रीय सहयोग - यूनेस्को संबंधित कार्यक्रमलाप” - ₹372.00 लाख की बचत (₹1010.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई;

(f) “International Cooperation - UNESCO related Activities”- saving of ₹372.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹1010.00 lakhs);

(छ) “अन्य व्यय - आईसीटी के माध्यम से राष्ट्रीय शिक्षा मिशन” - ₹44373.05 लाख की बचत (₹59285.51

(g) “Other Expenditure - National Mission in Education through ICT”- saving of

लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई;

₹44373.05 lakhs (against the sanctioned provision of ₹59285.51 lakhs);

(IV) मुख्य शीर्ष “2203” के अंतर्गत बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुई:-

(IV) Under Major Head “2203”- savings occurred under the following heads: -

(का) “प्रशिक्षण” -

(A) “Training”-

(क) “राष्ट्रीय तकनीकी शिक्षक प्रशिक्षण और अनुसंधान संस्थान” - ₹1269.11 लाख की बचत (₹8538.90 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई;

(a) “National Institutes of Technical Teachers Training and Research (NITTTRs)”- saving of ₹1269.11 lakhs (against the sanctioned provision of ₹8538.90 lakhs);

(ख) “शिक्षुता प्रशिक्षण बोर्ड, बम्बई, कोलकाता, कानपुर और चेन्नई” - ₹182.66 लाख की बचत (₹1211.70 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई;

(b) “Board of Apprenticeship Training, Bombay, Calcutta, Kanpur and Chennai” - saving of ₹182.66 lakhs (against the sanctioned provision of ₹1211.70 lakhs);

(ग) “शिक्षुता प्रशिक्षण छात्रवृत्ति और वजीफा संबंधी कार्यक्रम” - ₹647.03 लाख की बचत (₹5092.71 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई;

(c) “Programme for Apprenticeship Training Scholarships and Stipends”- saving of ₹647.03 lakhs (against the sanctioned provision of ₹5092.71 lakhs);

(खा) “पालिटेकनिकस - निशक्त व्यक्तियों के लिए पालिटेकनिकस” - ₹240.54 लाख की बचत (₹348.25 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई;

(B) “Polytechnics – Polytechnic for Disabled Persons” - saving of ₹240.54 lakhs (against the sanctioned provision of ₹348.25);

(गा) “अनुसूचित जाति विशेष संघटक योजना” -

(C) “Special Component Plan for Scheduled Castes”-

(क) “शिक्षुता प्रशिक्षण छात्रवृत्तियां और वजीफा संबंधी कार्यक्रम” - ₹106.97 लाख की बचत (₹630.11 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई;

(a) “Programme for Apprenticeship Training Scholarships and Stipends”- saving of ₹106.97 lakhs (against the sanctioned provision of ₹630.11 lakhs);

(ख) “राष्ट्रीय औद्योगिक इंजीनियरी संस्थान, मुंबई” - ₹465.00 लाख की बचत (₹555.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई;

(b) “National Institute of Industrial Engineering, Mumbai”- saving of ₹465.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹555.00 lakhs);

(ग) “संत लोंगोवाला इंजीनियरी और प्रौद्योगिकी संस्थान” - ₹111.20 लाख की बचत (₹240.00 लाख के

(c) “Sant Longowal Institute of Engineering and Technology”- saving of ₹111.20 lakhs

- स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई;
- (घ) “नए भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थानों की स्थापना” - ₹281.50 लाख की बचत (₹337.50 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई;
- (ङ) “नए भारतीय प्रबंधन संस्थानों की स्थापना” - ₹351.00 लाख की बचत (₹2250.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई;
- (च) “नए भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों की स्थापना” - ₹872.86 लाख की बचत (₹12000.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई;
- (छ) “भारत सरकार की तकनीकी शिक्षा गुणवत्ता सुधार परियोजना” - ₹2871.19 लाख की बचत (₹3973.19 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई;
- (घा) “जनजाति क्षेत्र उप योजना” -
- (क) “राष्ट्रीय औद्योगिक इंजीनियरी संस्थान, मुंबई” - ₹232.94 लाख की बचत (₹278.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई;
- (ख) “नए भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थानों की स्थापना” - ₹140.21 लाख की बचत (₹169.21 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई;
- (ग) “नए भारतीय प्रबंधन संस्थानों की स्थापना” - ₹176.31 लाख की बचत (₹1125.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई;
- (घ) “नए भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों की स्थापना” - ₹438.42 लाख की बचत (₹6000.00 लाख के
- (against the sanctioned provision of ₹240.00 lakhs);
- (d) “Setting up of New Indian Institutes of Information Technology”- saving of ₹281.50 lakhs (against the sanctioned provision of ₹337.50 lakhs);
- (e) “Setting up of New Indian Institutes of Management (IIMs)”- saving of ₹351.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹2250.00 lakhs);
- (f) “Setting up of new Indian Institutes of Technology”- saving of ₹872.86 lakhs (against the sanctioned provision of ₹12000.00 lakhs);
- (g) “Technical Education Quality Improvement Project of Government of India (EAP)” saving of ₹2871.19 lakhs (against the sanctioned provision of ₹3973.19 lakhs);
- (D) “Tribal Area Sub-Plan”-
- (a) “National Institute of Industrial Engineering, Mumbai”- saving of ₹232.94 lakhs (against the sanctioned provision of ₹278.00 lakhs);
- (b) “Setting up of New Indian Institutes of Information Technology”- saving of ₹140.21 lakhs (against the sanctioned provision of ₹169.21 lakhs);
- (c) “Setting up of New Indian Institutes of Management (IIMs)”- saving of ₹176.31 lakhs (against the sanctioned provision of ₹1125.00 lakhs);
- (d) “Setting up of New Indian Institutes of Technology”- saving of ₹438.42 lakhs

- स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई;
- (ड) “भारत सरकार की तकनीकी शिक्षा गुणवत्ता सुधार परियोजना” - ₹1436.11 लाख की बचत (₹1986.61 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई;
- (इ) “इंजीनियरी, तकनीकी कालेज और संस्थान” -
- (क) “भारतीय प्रबंधन संस्थान” - ₹3606.67 लाख की बचत (₹11989.50 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई;
- (ख) “राष्ट्रीय औद्योगिक इंजीनियरी संस्थान, मुंबई” - ₹3269.06 लाख की बचत (₹5934.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई;
- (ग) “योजना और वास्तुकला विद्यालय” - ₹287.52 लाख की बचत (₹2717.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई;
- (घ) “संत लॉगोवाल इंजीनियरी और प्रौद्योगिकी संस्थान” - ₹1048.20 लाख की बचत (₹4026.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई;
- (ङ) “नए भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थानों की स्थापना” - ₹1453.29 लाख की बचत (₹1743.29 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई;
- (च) “नए भारतीय प्रबंधन संस्थानों की स्थापना” - ₹4476.69 लाख की बचत (₹11578.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई; और
- (छ) “नए भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों की स्थापना” - ₹4526.72 लाख की बचत (₹62000.00 लाख के
- (against the sanctioned provision of ₹6000.00 lakhs);
- (e) “Technical Education Quality Improvement Project of Government of India (EAP)”- saving of ₹1436.11 lakhs (against the sanctioned provision of ₹1986.61 lakhs);
- (E) “Engineering, Technical Colleges and Institutes” -
- (a) “Indian Institutes of Management” - saving of ₹3606.67 lakhs (against the sanctioned provision of ₹11989.50 lakhs);
- (b) “National Institute of Industrial Engineering, Mumbai”- saving of ₹3269.06 lakhs (against the sanctioned provision of ₹5934.00 lakhs);
- (c) “School of Planning and Architecture” - saving of ₹287.52 lakhs (against the sanctioned provision of ₹2717.00 lakhs);
- (d) “Sant Longowal Institute of Engineering and Technology”- saving of ₹1048.20 lakhs (against the sanctioned provision of ₹4026.00 lakhs);
- (e) “Setting up of New Indian Institutes of Information Technology” – saving of ₹1453.29 lakhs (against the sanctioned provision of ₹1743.29 lakhs);
- (f) “Setting up of New Indian Institutes of Management (IIMs)” - saving of ₹4476.69 lakhs (against the sanctioned provision of ₹11578.00 lakhs); and
- (g) “Setting up of new Indian Institutes of Technology (New IITs)” - saving of

स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई।

₹4526.72 lakhs (against the sanctioned provision of ₹62000.00 lakhs).

बचतें उपर्युक्त तीस शीर्षों के अंतर्गत व्यवहार्य प्रस्ताव प्राप्त न होने/कम संख्या में प्राप्त होने के कारण हुईं।

Savings under the above thirty heads were due to non-receipt/receipt of less number of viable proposals.

(ज) “भारत सरकार की तकनीकी शिक्षा गुणवत्ता सुधार परियोजना” - ₹14724.45 लाख की बचत (₹21908.20 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) व्यवहार्य प्रस्ताव प्राप्त न होने और योग्य संस्थाओं के चयन में विलंब होने के कारण हुईं।

(h) “Technical Education Quality Improvement Project of Government of India (EAP)” - saving of ₹14724.45 lakhs (against the sanctioned provision of ₹21908.20 lakhs) was due to non-receipt of viable proposals and delay in the selection of eligible institutions.

(V) मुख्य शीर्ष “3601” के अंतर्गत बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुईं:-

(V) Under Major Head “3601”- savings occurred under the following heads-

(का) “योजनेतर अनुदान” -

(A) “Non-Plan Grants”-

(क) “माध्यमिक शिक्षा - छात्रवृत्ति - गैर हिंदी भाषी राज्यों के छात्रों को हिंदी में मैट्रिकोत्तर अध्ययन के लिए छात्रवृत्ति” - ₹129.34 लाख की बचत (₹140.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुईं;

(a) “Secondary Education- Scholarships - Scholarship to Students from Non-Hindi Speaking States for Post Matric Studies in Hindi”- saving of ₹129.34 lakhs (against the sanctioned provision of ₹140.00 lakhs);

(ख) “विश्वविद्यालय और उच्च शिक्षा - अन्य अनुदान - विश्वविद्यालय और कालेज के शिक्षकों के वेतनमान में सुधार” - ₹215178.00 लाख की बचत (₹225000.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुईं;

(b) “University and Higher Education - Other Grants - Improvement in the Pay Scale of University and College Teachers” - saving of ₹215178.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹225000.00 lakhs);

(खा) “केंद्रीय रूप से प्रायोजित योजना स्कीमों के लिए अनुदान” -

(B) “Grants for Centrally Sponsored Plan Schemes” -

(क) “तकनीकी शिक्षा - पालिटेकनिकस” -

(a) “Technical Education-Polytechnics”-

(i) “सामुदायिक पालिटेकनिकस” - ₹5429.04 लाख की बचत (₹8367.84 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुईं;

(i) “Community Polytechnics”- saving of ₹5429.04 lakhs (against the sanctioned provision of ₹8367.84 lakhs);

(ii) “पालिटेकनिकस में महिला छात्रावास” - ₹1987.87 लाख की बचत (₹6858.75 लाख के

(ii) “Women’s Hostels in Polytechnics” - saving of ₹1987.87 lakhs (against the

स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई;

sanctioned provision of ₹6858.75 lakhs);

(iii) “विद्यमान पालिटेकनिक्स का उन्नयन/नए पालिटेकनिक्स की स्थापना के लिए सहायता” - ₹23529.00 लाख की बचत (₹55877.50 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई;

(iii) “Assistance for Upgradation of existing/setting up of New Polytechnics” - saving of ₹23529.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹55877.50 lakhs);

(ख) “अनुसूचित जाति विशेष संघटक योजना - तकनीकी शिक्षा - पालिटेकनिक्स” - ₹8258.36 लाख की बचत (₹16030.91 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई;

(b) “Special Component Plan for Scheduled Castes- Technical Education – Polytechnics”- saving of ₹8258.36 lakhs (against the sanctioned provision of ₹16030.91 lakhs);

(ग) “जनजाति क्षेत्र उप योजना - तकनीकी शिक्षा - पालिटेकनिक्स” - ₹3178.73 लाख की बचत (₹7065.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई;

(c) “Tribal Area Sub-Plan - Technical Education – Polytechnics”- saving of ₹3178.73 lakhs (against the sanctioned provision of ₹7065.00 lakhs);

(VI) मुख्य शीर्ष “3602” - “केंद्रीय रूप से प्रायोजित योजना स्कीमों के लिए अनुदान” के अंतर्गत बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुईं:-

(VI) Under Major Head “3602”- “Grants for Centrally Sponsored Plan Schemes” - savings occurred under the following heads:-

(का) “अनुसूचित जाति विशेष संघटक योजना - तकनीकी शिक्षा - पालिटेकनिक्स” - ₹266.16 लाख की बचत (₹272.16 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई; और

(A) “Special Component Plan for Scheduled Castes- Technical Education – Polytechnics”- saving of ₹266.16 lakhs (against the sanctioned provision of ₹272.16 lakhs); and

(खा) “जनजाति क्षेत्र उप योजना - तकनीकी शिक्षा - पालिटेकनिक्स” - ₹123.75 लाख की बचत (₹126.75 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई।

(B) “Tribal Area Sub-Plan - Technical Education – Polytechnics”- saving of ₹123.75 lakhs (against the sanctioned provision of ₹126.75 lakhs).

बचतें उपर्युक्त नौ शीर्षों के अंतर्गत राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों से व्यवहार्य प्रस्ताव प्राप्त न होने/कम संख्या में प्राप्त होने के कारण हुईं।

Savings under the above nine heads were due to non-receipt/receipt of less number of viable proposals from the State Governments/Union Territory Governments.

(VII) बारह शीर्षों के अंतर्गत ₹758.46 लाख की बचतें हुईं, जो प्रत्येक में ₹50.00 लाख से अधिक किंतु ₹100.00 लाख से कम और स्वीकृत प्रावधान का 14 प्रतिशत से 84 प्रतिशत

(VII) Under twelve heads savings of ₹758.46 lakhs occurred, each exceeding ₹50.00 lakhs but not exceeding ₹100.00 lakhs and constituting 14

तक थीं।

2(I). उपर्युक्त बचतें पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान को बढ़ाने के लिए आंशिक रूप से (₹106234.08 लाख) प्रयुक्त हो गईं जैसाकि निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत ₹5208.00 लाख का पूरक अनुदान प्राप्त करते समय संसद को पहले ही सूचित कर दिया गया था:-

(का) मुख्य शीर्ष “2202” -

(क) “विश्वविद्यालय और उच्च शिक्षा” -

(i) “उच्च शैक्षणिक संस्थान - भारतीय उन्नत अध्ययन संस्थान, शिमला” - ₹644.44 लाख। वास्तविक अधिक व्यय, तथापि, ₹643.03 लाख था।

(ii) “अनुसूचित जाति विशेष संघटक योजना - भारतीय उन्नत अध्ययन संस्थान, शिमला” - ₹99.12 लाख। वास्तविक अधिक व्यय, तथापि, ₹98.72 लाख था।

(iii) “अन्य व्यय” -

(1) “पुस्तक संवर्धन के लिए राष्ट्रीय पुस्तक न्यास/संस्थानों को अनुदान” - ₹982.42 लाख। वास्तविक अधिक व्यय, तथापि, ₹982.41 लाख था।

(2) “शैक्षणिक कर्ज ब्याज सहायता” - ₹20000.00 लाख।

(ख) “भाषा विकास” -

(i) “आधुनिक भारतीय भाषाओं और साहित्य का संवर्धन - राष्ट्रीय उर्दू भाषा संवर्धन परिषद” - ₹1480.00 लाख। वास्तविक अधिक व्यय, तथापि, ₹1479.00 लाख था।

percent to 84 percent of the sanctioned provision.

2(I). The above savings were partly (₹106234.08 lakhs) utilized for augmenting the provision by re-appropriation as already reported to Parliament while obtaining supplementary grant of ₹5208.00 lakhs under the following major heads: -

(A) Major Head “2202” -

(a) “University and Higher Education”-

(i) “Institutes of Higher Learning-Indian Institute of Advanced Studies, Shimla”- ₹644.44 lakhs. Actual excess, however, was ₹643.03 lakhs.

(ii) “Special Component Plan for Scheduled Castes – Indian Institute of Advanced Studies, Simla”- ₹99.12 lakhs. Actual excess, however, was ₹98.72 lakhs.

(iii) “Other Expenditure” -

(1) “Grants to National Book Trust/Institutions for Book Promotion” – ₹982.42 lakhs. Actual excess, however, was ₹982.41 lakhs.

(2) “Educational Loan Interest Subsidy”- ₹20000.00 lakhs.

(b) “Language Development”-

(i) “Promotion of Modern Indian Languages and Literature-National Council for Promotion of Urdu Language”- ₹1480.00 lakhs. Actual excess, however, was ₹1479.00 lakhs.

- | | |
|--|---|
| (ii) "संस्कृत शिक्षा" - | (ii) "Sanskrit Education" - |
| (1) "राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान" - ₹3914.99 लाख। | (1) "Rashtriya Sanskrit Sansthan"- ₹3914.99 lakhs. |
| (2) "राष्ट्रीय वेद विद्या प्रतिष्ठान को अनुदान" - ₹1844.40 लाख। | (2) "Grants to Rashtriya Ved Vidya Pratisthan" - ₹1844.40 lakhs. |
| (iii) "अनुसूचित जाति विशेष संघटक योजना" - | (iii) "Special Component Plan for Scheduled Castes" - |
| (1) "राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान" - ₹682.00 लाख। | (1) "Rashtriya Sanskrit Sansthan"- ₹682.00 lakhs. |
| (2) "राष्ट्रीय वेद विद्या प्रतिष्ठान को अनुदान" - ₹212.00 लाख। | (2) "Grants to Rashtriya Ved Vidya Pratisthan" - ₹212.00 lakhs |
| (iv) "जनजाति क्षेत्र उप योजना" - | (iv) "Tribal Area Sub-Plans" - |
| (1) "राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान" - ₹341.01 लाख। | (1) "Rashtriya Sanskrit Sansthan"- ₹341.01 lakhs. |
| (2) "राष्ट्रीय वेद विद्या प्रतिष्ठान को अनुदान" - ₹63.60 लाख। | (2) "Grants to Rashtriya Ved Vidya Pratisthan" - ₹63.60 lakhs. |
| (ग) "सामान्य - अनुसंधान - भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद" - ₹359.65 लाख। वास्तविक अधिक व्यय, तथापि, ₹359.64 लाख था। | (c) "General - Research - Indian Council of Social Science Research"- ₹359.65 lakhs. Actual excess, however, was ₹359.64 lakhs. |
| (खा) मुख्य शीर्ष "2203" - | (B) Major Head "2203"- |
| (क) "विश्वविद्यालयों को तकनीकी शिक्षा के लिए सहायता - भारतीय विज्ञान संस्थान, बंगलौर को अनुदान" - ₹2325.00 लाख। | (a) "Assistant to Universities for Technical Education- Grants to Indian Institute of Science, Bangalore"- ₹2325.00 lakhs. |
| (ख) "इंजीनियरी, तकनीकी कालेज और संस्थान" - | (b) "Engineering, Technical Colleges and Institutes"- |
| (i) "भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान" - ₹31288.20 लाख। वास्तविक अधिक व्यय, तथापि, ₹31287.40 लाख था। | (i) "Indian Institutes of Technology" - ₹31288.20 lakhs. Actual excess, however, was ₹31287.40 lakhs. |

- (ii) “राष्ट्रीय फाउंडरी और फोर्ज प्रौद्योगिकी संस्थान, रांची” - ₹1302.00 लाख। वास्तविक अधिक व्यय, तथापि, ₹1301.00 लाख था।
- (iii) “भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान, इलाहाबाद” - ₹1380.05 लाख।
- (iv) “इंडियन स्कूल आफ माइन्स, धनबाद” - ₹2672.00 लाख।
- (v) “भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान, जबलपुर” - ₹1550.00 लाख।
- (vi) “केंद्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, कोकड़ाझाड़” - ₹949.62 लाख।
- (vii) “योजना और वास्तुकला के नए विद्यालयों की स्थापना” - ₹3099.00 लाख।
- (viii) “भारतीय शिक्षा अनुसंधान विज्ञान संस्थान” - ₹2325.00 लाख।
- (ix) “नए राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थानों की स्थापना” - ₹6407.00 लाख।
- (x) “भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान” - ₹5264.65 लाख।
- (xi) “पूर्वोत्तर क्षेत्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान, इटानगर” - ₹229.20 लाख।
- (ii) “National Institute for Foundry and Forge Technology, Ranchi” - ₹1302.00 lakhs. Actual excess, however, was ₹1301.00 lakhs.
- (iii) “Indian Institute of Information Technology, Allahabad” – ₹1380.05 lakhs.
- (iv) “Indian School of Mines, Dhanbad”- ₹2672.00 lakhs.
- (v) “Indian Institute of Information Technology at Jabalpur” – ₹1550.00 lakhs.
- (vi) “Central Institute of Technology (CIT), Kokrajhar” – ₹949.62 lakhs.
- (vii) “Setting up of New Schools of Planning and Architecture” - ₹3099.00 lakhs.
- (viii) “Indian Institutes of Science for Education Research (IISER)” - ₹2325.00 lakhs.
- (ix) “Setting up of New National Institutes of Technology (NITs)”- ₹6407.00 lakhs.
- (x) “National Institutes of Technology (NITs)”- ₹5264.65 lakhs.
- (xi) “North Eastern Regional Institute of Science and Technology, Itanagar”- ₹229.20 lakhs.
- (ग) “अनुसूचित जाति विशेष संघटक योजना” -
- (c) “Special Component Plan for Scheduled Castes”-

- | | |
|--|--|
| (i) “भारतीय विज्ञान संस्थान, बंगलौर को अनुदान” - ₹450.00 लाख। | (i) “Grants to Indian Institute of Science, Bangalore” - ₹450.00 lakhs. |
| (ii) “भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान” - ₹3780.00 लाख। वास्तविक अधिक व्यय, तथापि, ₹3779.30 लाख था। | (ii) “Indian Institutes of Technology” - ₹3780.00 lakhs. Actual excess, however, was ₹3779.30 lakhs. |
| (iii) “राष्ट्रीय फाउंडरी और फोर्ज प्रौद्योगिकी संस्थान, रांची” - ₹120.00 लाख। | (iii) “National Institute for Foundry and Forge Technology, Ranchi” - ₹120.00 lakhs. |
| (iv) “भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान, इलाहाबाद” - ₹300.00 लाख। | (iv) “Indian Institute of Information Technology, Allahabad” – ₹300.00 lakhs. |
| (v) “इंडियन स्कूल आफ माइन्स, धनबाद” - ₹375.00 लाख। | (v) “Indian School of Mines, Dhanbad”- ₹375.00 lakhs. |
| (vi) “भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान, जबलपुर” - ₹300.00 लाख। | (vi) “Indian Institute of Information Technology at Jabalpur” – ₹300.00 lakhs. |
| (vii) “योजना और वास्तुकला के नए विद्यालयों की स्थापना” - ₹600.00 लाख। | (vii) “Setting up of New Schools of Planning and Architecture” - ₹600.00 lakhs. |
| (viii) “भारतीय विज्ञान शिक्षा अनुसंधान संस्थान” - ₹450.00 लाख। | (viii) “Indian Institutes of Science for Education Research” - ₹450.00 lakhs. |
| (ix) “नए राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थानों की स्थापना” - ₹1380.00 लाख। | (ix) “Setting up of New National Institutes of Technology (NITs)”-₹1380.00 lakhs. |
| (घ) “जनजाति क्षेत्र उप योजना” - | (d) “Tribal Area Sub-Plan”- |
| (i) “भारतीय विज्ञान संस्थान, बंगलौर को अनुदान” - ₹225.00 लाख। | (i) “Grants to Indian Institute of Science, Bangalore” - ₹225.00 lakhs. |
| (ii) “भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान” - ₹1890.00 लाख। वास्तविक अधिक व्यय, तथापि, ₹1889.50 लाख था। | (ii) “Indian Institutes of Technology” - ₹1890.00 lakhs. Actual excess, however, was ₹1889.50 lakhs. |

- | | |
|---|--|
| (iii) “राष्ट्रीय फाउंडरी और फोर्ज प्रौद्योगिकी संस्थान, रांची” - ₹60.00 लाख। | (iii) “National Institute for Foundry and Forge Technology, Ranchi” – ₹60.00 lakhs. |
| (iv) “भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान, इलाहाबाद” - ₹150.00 लाख। | (iv) “Indian Institute of Information Technology, Allahabad” – ₹150.00 lakhs. |
| (v) “इंडियन स्कूल आफ माइन्स, धनबाद” - ₹188.00 लाख। | (v) “Indian School of Mines, Dhanbad”- ₹188.00 lakhs. |
| (vi) “भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान, जबलपुर” - ₹150.00 लाख। | (vi) “Indian Institute of Information Technology at Jabalpur” – ₹150.00 lakhs. |
| (vii) “केंद्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, कोकड़ाझाड़” - ₹3998.40 लाख। | (vii) “Central Institute of Technology (CIT), Kokrajhar” - ₹3998.40 lakhs. |
| (viii) “योजना और वास्तुकला के नए विद्यालयों की स्थापना” - ₹301.00 लाख। | (viii) “Setting up of New Schools of Planning and Architecture” - ₹301.00 lakhs. |
| (ix) “भारतीय विज्ञान शिक्षा अनुसंधान संस्थान” - ₹225.00 लाख। | (ix) “Indian Institutes of Science for Education Research” - ₹225.00 lakhs. |
| (x) “नए राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थानों की स्थापना” - ₹1413.00 लाख। | (x) “Setting up of New National Institutes of Technology (NITs)”- ₹1413.00 lakhs. |
| (xi) “पूर्वोत्तर क्षेत्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान, इटानगर” - ₹463.33 लाख। | (xi) “North Eastern Regional Institute of Science and Technology, Itanagar”- ₹463.33 lakhs. |
| (II) बचतें निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत अधिक व्यय द्वारा भी प्रतिसंतुलित हो गईं:- | (II) Savings were also offset by excess under the following major heads:- |
| (का) मुख्य शीर्ष “2202” - “विश्वविद्यालय और उच्च शिक्षा” - | (A) Major Head “2202” – “University and Higher Education” – |
| (क) “विश्वविद्यालयों को सहायता - राष्ट्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना (इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय)” - ₹713.70 लाख का अधिक | (a) “Assistance to Universities- Establishment of National University (Indira Gandhi National Open University)”- excess of |

व्यय (₹5200.00 लाख के पूरक अनुदान सहित ₹12623.30 लाख के कुल स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुआ;

₹713.70 lakhs (against the total sanctioned provision of ₹12623.30 lakhs including supplementary grant of ₹5200.00 lakhs);

- (ख) “अनुसूचित जाति विशेष संघटक योजना - राष्ट्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना (इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय)” - ₹157.50 लाख का अधिक व्यय (₹1417.50 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुआ;
- (b) “Special Component Plan for Scheduled Castes - Establishment of National University (Indira Gandhi National Open University)”- excess of ₹157.50 lakhs (against the sanctioned provision of ₹1417.50 lakhs);
- (खा) मुख्य शीर्ष “2203” -
- (B) Major Head “2203” –
- (क) “इंजीनियरी, तकनीकी कालेज और संस्थान - अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद” - ₹2999.99 लाख का अधिक व्यय (₹28000.01 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुआ;
- (a) “Engineering, Technical Colleges and Institutes - All India Council for Technical Education(A.I.C.T.E.)” – excess of ₹2999.99 lakhs (against the sanctioned provision of ₹28000.01 lakhs);
- (ख) “अनुसूचित जाति विशेष संघटक योजना” -
- (b) “Special Component Plan for Scheduled Castes” –
- (i) “भारतीय प्रबंधन संस्थान” - ₹191.44 लाख का अधिक व्यय (₹1575.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुआ;
- (i) “Indian Institutes of Management” – excess of ₹191.44 lakhs (against the sanctioned provision of ₹1575.00 lakhs);
- (ii) “अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद” - ₹600.00 लाख का अधिक व्यय (₹5400.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुआ।
- (ii) “All India Council for Technical Education (A.I.C.T.E.)” – excess of ₹600.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹5400.00 lakhs);
- (ग) “जनजाति क्षेत्र उप योजना” -
- (c) “Tribal Area Sub-Plan”-
- (i) “भारतीय प्रबंधन संस्थान” - ₹108.23 लाख का अधिक व्यय (₹787.50 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुआ; और
- (i) “Indian Institutes of Management” – excess of ₹108.23 lakhs (against the sanctioned provision of ₹787.50 lakhs); and
- (ii) “अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद” - ₹300.01 लाख का अधिक व्यय (₹2699.99 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुआ।
- (ii) “All India Council for Technical Education (A.I.C.T.E.)” – excess of ₹300.01 lakhs (against the sanctioned provision of ₹2699.99 lakhs).

अधिक व्यय उपर्युक्त सात शीर्षों के अंतर्गत पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लाभ से संबंधित स्कीमों पर उपयोग के लिए निधियों का पुनर्विनियोग मुख्य शीर्ष "2552" से कार्यात्मक शीर्षों को किए जाने के कारण हुआ।

(गा) मुख्य शीर्ष "3601" - "केंद्रीय रूप से प्रायोजित योजना स्कीमों के लिए अनुदान" -

(क) "विश्वविद्यालय और उच्च शिक्षा - विश्वविद्यालयों को सहायता - राज्य सरकारों को डिग्री कालेजों के लिए सहायता" - ₹899.00 लाख का अधिक व्यय (₹1.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुआ;

(ख) "तकनीकी शिक्षा - इंजीनियरी, तकनीकी कालेज और संस्थान - भारत सरकार की तकनीकी शिक्षा गुणवत्ता सुधार परियोजना" - ₹3040.24 लाख का अधिक व्यय (₹4804.51 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुआ;

(ग) "अनुसूचित जाति विशेष संघटक योजना - तकनीकी शिक्षा - इंजीनियरी, तकनीकी कालेज और संस्थान" - ₹258.00 लाख का अधिक व्यय (₹1197.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुआ; और

(घ) "जनजाति क्षेत्र उप योजना - तकनीकी शिक्षा - इंजीनियरी, तकनीकी कालेज और संस्थान" - ₹134.51 लाख का अधिक व्यय (₹598.49 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुआ।

अधिक व्यय उपर्युक्त चार शीर्षों के अंतर्गत राज्य सरकारों से ज्यादा प्रस्ताव प्राप्त होने के कारण हुआ।

(III) एक शीर्ष के अंतर्गत ₹78.80 लाख का अधिक व्यय हुआ जो स्वीकृत प्रावधान का 11 प्रतिशत था।

Excess under the above seven heads was due to re-appropriation of funds from Major Head "2552" to functional heads for utilization on schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim

(C) Major Head "3601" - "Grants for Centrally Sponsored Plan Schemes"-

(a) "University and Higher Education – Assistance to Universities – Assistance to State Governments for Degree Colleges" – excess of ₹899.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹1.00 lakh);

(b) "Technical Education-Engineering, Technical Colleges and Institutes – Technical Education Quality Improvement Project of Government of India (EAP)" – excess of ₹3040.24 lakhs (against the sanctioned provision of ₹4804.51 lakhs);

(c) "Special Component Plan for Scheduled Castes - Technical Education - Engineering, Technical Colleges and Institutes" – excess of ₹258.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹1197.00 lakhs); and

(d) "Tribal Area Sub-Plan - Technical Education - Engineering, Technical Colleges and Institutes" – excess of ₹134.51 lakhs (against the sanctioned provision of ₹598.49 lakhs).

Excess under the above four heads was due to receipt of more proposals from the State Governments.

(III) Under one head excess of ₹78.80 lakhs occurred constituting 11 percent of the sanctioned provision.